राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांकः प.3(10)नविवि/3/2012पार्ट जयपुर, दिनांक

आदेश

राज्य सरकार द्वारा खनिज बजरी के दीर्घकालीन विकल्प के रूप में एम–सेण्ड को बढावा देने के लिए राजस्थान एम–सेण्ड नीति–2020 को 25 जनवरी, 2021 से लागू किया गया, जिसके क्रम में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25.06.2021 द्वारा एम सेण्ड के उपयोग हेतु निर्देश जारी किये गये।

अतः उक्त आदेश की निरन्तरता में, खान एव पेट्रोलियम विभाग के प्रस्तावानुसार, एम–सेण्ड की उपयोगिता बढाने हेतु इस विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी किये जाने वाले कार्यादेशों में निम्नानुसार शर्त जोडी जाने की पालना सुनिश्चित की जावेः–

"विभिन्न निर्माण कार्यों में उपयोगित खनिज बजरी की मात्रा का न्यूनतम 25 प्रतिशत एम–सेण्ड का उपयोग अनिवार्य होगा।"

आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ /आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम (ग्रुप–2) विभाग।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर/उदयपुर/कोटा विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर /अजमेर/उदयपुर/कोटा।
6. शासन उप सचिव –प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नविवि।
7. सचिव, नगर विकास न्यास समस्त।
8. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि, जयपुर।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

शासन उप सचिव–प्रथम

RajKaj Ref
8193031

Document certified by RAVI VIJAY
<ravijay26@gmail.com>
Digitally Signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy
Secretary To Government
Date :22-07-2024 03:14:20